राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ

एकलपीठ सिविल आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 625/2023

सत्यप्रकाश पुत्र मुखराम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी कोलसिया, थाना- झुंझुनूं वर्तमान में प्राईवेट शिक्षक जय हनुमान सै. स्कूल, पुनासर, जिला- जोधपुर।

(वर्तमान में सेंट्रल जेल, जोधपुर में बंद हैं)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री रामअवतार सिंह, जय किशन जी,
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री महिपाल विश्नोई, प;पू;
		श्री रमेश चन्द्र पुरोहित

माननीय न्यायमूर्तिकुलदीप माथुर

आदेश

रिपोर्टेबल

03/02/2023

जमानत के लिए यह आवेदन सीआरपीसी की धारा 439 तहत अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया है जिसे एफ.आई.आर. संख्या 03/2022 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है जिसे धारा 365, 342, 376 (2) (ढ), 376 घ और 384 आईपीसी के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन मतोड़ा, जिला जोधपुर में दर्ज किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी के खिलाफ झूठा मामला थोपा गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोजन की कहानी में बड़ी विसंगतियां हैं। विद्वान अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए मुकेश लाहोटी के बयान की ओर आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 07.01.2022 को वह अपने घर पर थे और उनके पिता को बया ने सूचित किया था कि एक लड़की स्कूल की दीवार पर चढ़कर अंदर चली गई है। मुकेश अपने पिता शंकरलाल के साथ स्कूल गया और बहरूपिया की पत्नी मिली जिसने उन्हें बताया कि उसका पति बाथरूम गया था लेकिन बाथरूम अंदर से बंद था। इसके बाद शंकर लाल ने बाथरूम की छत से अंदर झांककर

देखा तो लड़की बाथरूम के अंदर बैठी हुई थी। दरवाजा खोलने के लिए कहने पर, लड़की ने दरवाजा खोल दिया और खुद को कुम्भाराम गोदारा की बेटी और जगदीश की बहन बताया, जिसके बाद मुकेश लाहोटी ने जगदीश को फोन करके उसकी बहन के बारे में बताया, जो मौके पर आया और उसे अपने साथ ले गया।

विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी का एक अलग संस्करण पीड़िता के भाई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में बताया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि लड़की बाथरूम में बेहोशी की हालत में पाई गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए पीड़िता के बयान की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें बड़ी विसंगति की ओर इशारा किया गया कि उसने घर छोड़ने की तारीख 06.01.2022 बताई थी जो अभियोजन की कहानी को पूरी तरह से हिला देती है। विद्वान अधिवक्ता ने अंततः प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने धारा 164 के तहत अपने बयानों में कहा कि आरोपी-अपीलार्थी सह-अभियुक्त मगराज और गिरधारी राम के साथ पिछले 1-2 वर्षों से उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे, जिसका खुलासा परिवार के सदस्यों को भी नहीं किया गया था, जिससे स्पष्ट उनके बीच एक सहमतिपूर्ण संबंध की ओर संकेत मिलता है।

इन दलीलों के आधार पर, विद्वान अधिवक्ता ने अदालत से सीआरपीसी की धारा 439 के तहत वर्तमान आवेदन को स्वीकार करने और अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया।

विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत अपने बयानों में अभियोजक द्वारा अपीलार्थी पर जबरदस्ती यौन उत्पीड़न के स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान अपीलार्थी, उसके शिक्षक सह-अभियुक्तों के साथ पिछले 1-2 वर्षों से जबरदस्ती उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। इस प्रकार प्रार्थना की गई कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत न दी जाए।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

रिकॉर्ड के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलार्थी की उम्र लगभग 35 वर्ष है और वह उस स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत है जहां पीड़िता पढ़ती थी, जो अभी बालिग हुई है और किशोरावस्था में है।

इस न्यायालय की राय है कि शिक्षक-छात्र संबंध और आरोपी-अपीलार्थी और अभियुक्त के बीच उम्र के अंतर को देखते हुए, यह माना जा सकता है कि आरोपी-अपीलार्थी पीड़िता की इच्छा पर नियंत्रण या हावी होने की स्थिति में था। ऐसी स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष आरोपी-अपीलार्थी या सह-अभियुक्त द्वारा किए गए अश्लील टिप्पणियों के लिए स्वतंत्र रूप से सहमति दे सकता है।

यह अदालत जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप-पत्र का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलार्थी के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। वर्तमान मामले में, चूंकि एफआईआर पीड़िता के भाई द्वारा दर्ज की गई थी, इसलिए सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत एफआईआर और पीड़िता और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभासों पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है। जहां तक एफआईआर दर्ज करने में देरी के संबंध में तर्क का सवाल है, तो यह देखना पर्याप्त है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि इस तरह के अपराधों में शिकायत/एफआईआर लंबे समय के बाद भी दर्ज की जा सकती है। पीड़िता की उम्र और उसके खिलाफ अपराध की गंभीरता को देखते हुए, पीड़िता की कहानी को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसने घटना के तुरंत बाद परिवार/पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी थी।

इसलिए, आवेदन में कोई तथ्य नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। हालाँकि, अपीलार्थी सक्षम आपराधिक अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के बयान दर्ज करने के बाद नई जमानत याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(कुलदीप माथुर), न्यायमूर्ति

Prashant/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी.के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।